



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-25102025-267099
CG-UP-E-25102025-267099

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4648]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947

No. 4648]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947

रेल मंत्रालय

उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)

अधिसूचना

प्रयागराज, 8 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4777(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् "प्रयागराज – पं दीन दयाल उपाध्याय, तीसरी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (150 किमी)" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई) / मिर्जापुर को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को

या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य व्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना पं० दीनदयाल उपाध्याय – प्रयागराज के मध्य तीसरी लाइन निर्माण परियोजना के लिए मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील में आने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं	तालुका का नाम	गाँव का नाम	गाटे की प्रकृति	खाता संख्या	गाटा सं०	अर्जित क्षेत्रफल (हे०) में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	चुनार	पिरल्लीपुर	निजी	12, 98, 99	104	0.0570
			निजी	7	108	0.0060
					योग	0.0630
2	चुनार	धौरहरा	निजी	82	159	0.1210
			निजी	38	121	0.0440
			निजी	78, 124, 133, 132	184	0.0640
					योग	0.2290
3	चुनार	पचेवरा	निजी	88	504	0.0360
			निजी	88, 414	505	0.0320
					योग	0.0680
4	चुनार	दरगाह शरीफ	निजी	169	156	0.2150
			निजी	82, 111, 131, 132, 161, 169, 249	157	0.1900
			निजी	135, 136, 169	159	0.0960
			निजी	201	161	0.5200
			निजी	32	162	0.1640

			निजी	32	163	0.0630
			निजी	32	164	0.0250
			निजी	32	165	0.0510
			निजी	32	167	0.0310
					योग	1.3550
5	चुनार	उस्मानपुर	निजी	130	116	0.0730
			आबादी	138, 143	158	0.4730
			निजी	85	160	0.0500
			निजी	106	161	0.0430
			निजी	121	162	0.1440
			निजी	121	163	0.1200
			निजी	119	164	0.4600
			निजी	127	165	0.0880
			निजी	121	166	0.2280
			निजी	121	167	0.1390
			निजी	121	168	0.0880
			निजी	121	169	0.0880
			निजी	121	170	0.0250
			निजी	121	171	0.0215
			निजी	120	172	0.5560
					योग	2.5965
6	चुनार	भोरमार माफी	निजी	226	79	0.0500
			निजी	296	80	0.0800
			बंजर	303	81	0.0130
			डाटा उपलब्ध नहीं		82	0.0250
			निजी	224	83	0.0500
			निजी	225	84	0.0170
			नवीन परती	302	85	0.0560
			निजी	148	86	0.0150
			निजी	302	87	0.0760

			निजी	239	90	0.0330
			नवीन परती	302	91	0.0120
			नाली	17	92	0.0030
			निजी	143	93	0.0550
			तालाब	304	94	0.0250
					योग	0.5100
7	चुनार	भौरही	निजी	76	271	0.0100
					योग	0.0100
8	चुनार	भरेहठा	निजी	364	245	0.0240
					योग	0.0240
9	चुनार	काशीपुर	निजी	435	1049	0.0250
					योग	0.0250
10	चुनार	कमालपुर	निजी		624	0.0150
					योग	0.0150
					महायोग	4.8955

[फा. सं. एन.सीआर.-एच. क्यू.शून्य.सी. ई.एन.जी.(पी. एच 15)/5/2021-
ओ/ओ डिप्टी. सी.ई./सी.इला. (कंप्यूटर सं. 51223) ,दिनांक: 24.11.2021]
एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारीन /निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

North Central Railway (Construction Department)

NOTIFICATION

Prayagraj, the 8th October, 2025

S.O. 4777(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Prayagraj-Pt. Deendayal 3rd line doubling Railway project (150 km) in the district of **Mirzapur** in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Special Land Acquisition Officer (Irrigation) / Mirzapur**, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal

practitioner and may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project, namely, Pt. Deen Dayal Upadhaya to Prayagraj Jn. 3rd Railway line Project Under
Tehsil Chunar in Mirzapur District
in the state of Uttar Pradesh.

S/No .	Name of Tehsil	Name of Village	Nature of Land	Khata No.	Gata No.	Acquired area (In Hec.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Chunar	Pirallipur	Pvt.	12, 98, 99	104	0.057
			Pvt.	7	108	0.006
					Total	0.0630
2	Chunar	Dhaorahara	Pvt.	82	159	0.1210
			Pvt.	38	121	0.0440
			Pvt.	78, 124, 133, 132	184	0.0640
					Total	0.2290
3	Chunar	Pachewara	Pvt.	88	504	0.0360
			Pvt.	88, 414	505	0.0320
					Total	0.0680
4	Chunar	Dargah sharif	Pvt.	169	156	0.2150
			Pvt.	82, 111, 131, 132, 161, 169, 249	157	0.1900
			Pvt.	135, 136, 169	159	0.0960
			Pvt.	201	161	0.5200
			Pvt.	32	162	0.1640
			Pvt.	32	163	0.0630
			Pvt.	32	164	0.0250
			Pvt.	32	165	0.0510
			Pvt.	32	167	0.0310
					Total	1.3550
5	Chunar	Usmanpur	Pvt.	130	116	0.0730
			Pvt.	138, 143	158	0.4730
			Pvt.	85	160	0.0500
			Pvt.	106	161	0.0430
			Pvt.	121	162	0.1440
			Pvt.	121	163	0.1200
			Pvt.	119	164	0.4600
			Pvt.	127	165	0.0880
			Pvt.	121	166	0.2280
			Pvt.	121	167	0.1390
			Pvt.	121	168	0.0880
			Pvt.	121	169	0.0880
			Pvt.	121	170	0.0250
			Pvt.	121	171	0.0215

			Pvt.	120	172	0.5560
					Total	2.5965
6	Chunar	Bhormarmafi	Pvt.	226	79	0.0500
			Pvt.	296	80	0.0800
			Banjar	303	81	0.0130
			No Data		82	0.0250
			Pvt.	224	83	0.0500
			Pvt.	225	84	0.0170
			Naveen Parati	302	85	0.0560
			Pvt.	148	86	0.0150
			Pvt.	302	87	0.0760
			Pvt.	239	90	0.0330
			Naveen Parati	302	91	0.0120
			Nali	17	92	0.0030
			Pvt.	143	93	0.0550
			Talab	304	94	0.0250
					Total	0.5100
7	Chunar	Bhaorahi	Pvt.	76	271	0.0100
					Total	0.0100
8	Chunar	Bharehatha	Pvt.	364	245	0.0240
					Total	0.0240
9	Chunar	Kashipur	Pvt.	435	1049	0.0250
					Total	0.0250
10	Chunar	Kamalpur	Pvt.		624	0.0150
					Total	0.0150
					G. Total	4.8955

[F. No. NCR-HQ0CENG(PH 15)/5/2021- O/O Dy CE/C/ALD
(Computer No.51223) Dated: 24.11.2021]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative Officer (Construction)